

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तीस'

[26/7/2017]

प्रश्न सं. [क. 3036]

तारीख 5-3-3036

परिशिष्ट 'तीस'

क्र०	शिकायत प्राप्त होने का दिनांक	शिकायतकर्ता / जनप्रतिनिधि का नाम	किस संबंध में शिकायत की गई है।	रिमार्क
01	18.05.2017	विनोद पुत्र विश्राम सिंह शर्मा नि० सराया का पुरा द्वारा माननीय विधायक श्री हेमन्त सत्यदेव कटारें	आवेदक विनोद शर्मा को थाना फूप के अपराध क 78/17 धारा 294, 507 ताहि 3(1) एस (2) एससीएसटी एक्ट में फसाने के संबंध में	आवेदन पत्र की जांच नगर पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा की गई। आवेदक द्वारा ऐसी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराई गयी जिससे घटना में उपस्थित न होना प्रमाणित हो सके। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
02	4.06.2017	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी विमलेश कुमार मिश्रा द्वारा माननीय विधायक श्री हेमन्त सत्यदेव कटारें	आवेदिका के पति विमलेश मिश्रा को थाना अटेर के अपराध कमाक 69/17 धारा 323, 294, 506 ताहि एवं 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में फसाने के संबंध में	प्रकरण विवेचना में है विवेचना उपुअ (अजाक) द्वारा की जा रही है उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।
03	18.05.17	रमेश शर्मा पुत्र अजान शर्मा नि० मदनपुरा द्वारा माननीय विधायक श्री हेमन्त सत्यदेव कटारें	आवेदक रमेश शर्मा को थाना उमरी के अपराध क 132/17 धारा 323, 294, 327, 506, 34 ताहि में फसाने के संबंध में	आवेदन पत्र की जांच नगर पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा की गई। आवेदन पत्र की जांच पर पाया गया कि आवेदक द्वारा अपने बचाव में आवेदन पत्र देना पाया गया। आवेदक द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे घटना में उपस्थित न होना प्रमाणित हो।
04	18.05.17	राजू सिंह पुत्र अजमेर सिंह नि० बलारपुरा थाना अटेर द्वारा माननीय विधायक श्री हेमन्त सत्यदेव कटारें	आवेदक राजू सिंह को थाना अटेर के अपराध क 52/17 धारा 323, 294, 324, 506, 34 ताहि में फसाने के संबंध में	जांच से आवेदक द्वारा अपने बचाव में आवेदन पत्र देना पाया गया। आवेदक द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे उसका घटना में उपस्थित न होना प्रमाणित हो। प्रकरण विवेचना में है।
05	18.05.17	आवेदक रामौतार पुत्र मातादीन बघेल नि० जमौरा थाना अटेर द्वारा माननीय विधायक श्री हेमन्त सत्यदेव कटारें	आवेदक रामौतार को थाना अटेर के अपराध क 62/12 धारा 452, 323, 294, 506, 34 ताहि में फसाने के संबंध में	आवेदक द्वारा ऐसी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराई गयी जिससे घटना में उपस्थित न होना प्रमाणित हो सके। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
06	27.04.17	जय श्रीराम जाटव पुत्र पंतगी जाटव नि० जारी द्वारा माननीय विधायक श्री हेमन्त सत्यदेव कटारें	थाना देहात के अप०क० 495/16 धारा 302 भादवि में झूठा फसाये जाने के संबंध में।	नगर पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा जांच में पाया गया कि उक्त प्रकरण में विवेचना दौरान एकत्रित साक्ष्य व प्रतिका शिवरानी औझा के मृत्यु पूर्व कथन के आधार पर जय श्रीराम पुत्र पंतगी जाटव के विरुद्ध अपराध सिद्ध है। उक्त प्रकरण में चालान कता किया गया है। जो न्यायालय में विचाराधीन है।
07	9.05.17	प्रदीप गुर्जर पुत्र देवेन्द्र गुर्जर नि० गौअर कलों द्वारा माननीय विधायक श्री हेमन्त सत्यदेव कटारें	थाना पावई के अप० क 38/17 धारा 307 भादवि झूठी दर्ज करने की जांच बावत।	नगर पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा जांच में पाया गया कि जिस पर से आवेदक व अनावेदक दोनों पक्षों में मारपीट, पत्थर बाजी की घटना का होना पाया गया जिस पर से आवेदक, अनावेदक दोनों पक्षों पर

अधीक्षक
नगर पुलिस
क. (1)

13/7/17

				कम 1: अप0क0 38/17 धारा 307 147 148 149 323 294 भादवि व अप0क0 39/17 धारा 323 294 147 148 149 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध होकर विवेचना में है। जिसमें उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
08	9.05.17	श्रीमति स्नेहलता पत्नी महिपाल सिंह नि0 गढी थाना फूप जिला भिण्ड माननीय विधायक श्री हेमन्त सत्यदेव कटारें	विधानसभा क्षेत्र अटेर में गरीब वर्ग के खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज करने वाबत।	एसडीओपी अटेर द्वारा जाँच में पाया गया कि मामला झूठे प्रकरण कायम करने संबंधी न होकर भूमि विवाद का है दोनों पक्ष एक ही स्थान पर अपना कब्जा बता रहे हैं। थाना फूप द्वारा धारा 145 जा0फौ0 का इस्त0 एसडीएम कोर्ट भिण्ड में पे 1 किया गया है साथ ही दोनों पक्षों के विरुद्ध भाति व्यवस्था बनाये रखने हेतु ईस्त0 क0 864,865/17 धारा 107/116(3) जा0फौ0 का तैयार किया गया है।
09	5.05.17	आदेश उर्फ वंटी पुत्र रामसेवक भार्मा नि0 खरीका द्वारा माननीय विधायक श्री हेमन्त सत्यदेव कटारें	थाना अटेर के अप0क0 71/17 धारा 354 456 506 भादवि में झूठा फसाया जाने की जांच बाबत।	नगर पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा जाँच में आवेदक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे घटना में उपस्थित न होना प्रमाणित हो सकें। अपने बचाव में आवेदन पत्र देना पाया गया।
10	18.5.17	घन याम पुत्र रामकरण भार्मा नि0 गोविन्द नगर भिण्ड द्वारा माननीय विधायक श्री हेमन्त सत्यदेव कटारें	थाना उमरी के अप0क0 120/17 धारा 307 294 34 भादवि इजाफा धारा 302 भादवि में झूठा फसाया जाने की जांच बाबत।	नगर पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा जाँच में पाया गया कि आवेदक थाना सिटी कोतवाली भिण्ड का आदतन अपराधी है। आवेदक द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे घटना में उपस्थित न होना प्रमाणित हो सकें।
11	18.5.17	राजीव दीक्षित पुत्र कैला. 1 नारायण दीक्षित नि0 खैरी हाल वाटर वर्क्स भिण्ड द्वारा माननीय विधायक श्री हेमन्त सत्यदेव कटारें	थाना अटेर के अप0क0 57/17 धारा 429 भादवि में झूठा फसाया जाने की जांच बाबत।	अपराध विवेचना में है आवेदन पत्र की जांच नगर पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा की गई है, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने के निर्दे 1 दिये गये हैं।

[Signature]
13/7/17

DIG (COMPLANT)

[Signature]
अनुमान अमान
नगर प्रदेय शासन,
पु (पुलिस) विभाग, बी (1)
बनाबल, मोराव.